भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *437

(01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए निधि

***437. श्री कालिपद सरेन खेरवालः**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के लिए धनराशि सरकार के पास लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए निधि” के संबंध में लोक सभा में दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या *437 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ख): प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत , पश्चिम बंगाल राज्य को कुल मिलाकर 45,69,423 आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है , जिसमें से दिनांक 26.03.2025 की स्थिति अनुसार राज्य ने सभी आवासों को स्वीकृत कर दिया है , 34,65,970 लाभार्थियों को सहायता की पहली किस्त जारी की है और 34,19,213 आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है तथा 11,50,210 आवासों का निर्माण पूरा किया जाना अभी बाकी है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, ग्रामीण विकास मंत्रालय को संसद सदस्यों , राज्य विधानसभा सदस्यों (पश्चिम बंगाल) और अन्य हितधारकों से राज्य में योजना का नाम बदलकर बांगला आवास योजना करने और अपात्र परिवारों को सहायता देने के गंभीर आरोप प्राप्त हुए थे। इन शिकायतों की जांच राष्ट्रीय स्तर की निगरानी (एनएलएम) दलों द्वारा निरीक्षण के माध्यम से की गई। अधिकांश मामलों में शिकायतें सही पाई गईं। तत्पश्चात , राज्य सरकार ने एनएलएम दलों की टिप्पणियों और सांसदों तथा विधायकों की शिकायतों पर अनुपालन प्रस्तुत किया। अगस्त, 2022 के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को स्वीकृत किया गया। राज्य सरकार ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की थी कि चूंकि 'नाम' और 'लोगो' केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) की मुख्य विशेषताओं का हिस्सा हैं , इसलिए पीएमएवाई-जी का आधिकारिक 'नाम' और 'लोगो' का उपयोग किया जाएगा और नागरिक और सार्वजनिक सूचना बोर्ड में नियमित रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। राज्य सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों को योजना के आधिकारिक नाम और 'लोगो' के साथ पीएमएवाई-जी के उचित कार्यान्वयन के निर्देश भी जारी किए।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपालनों को स्वीकार कर लिया गया और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य को अंतिम रूप से आवास+ 2018 सर्वेक्षण सूची से 11,36,488 आवासों का लक्ष्य दिनांक 24.11.2022 के अ.शा. पत्र के माध्यम से आवंटित किया गया था।

मंत्रालय ने पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए 2016-17 से 2021-22 तक राज्य को केंद्रीय अंश के रूप में 25,798 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर दिए हैं।

हालांकि, नवंबर, 2022 में राज्य को लक्ष्य आवंटित किए जाने के बाद पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों की पुष्टि वरिष्ठ अधिकारियों के दल और राष्ट्रीय स्तर के निगरानी (एनएलएम) दलों के माध्यम से की गई।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की एनएलएम दलों और वरिष्ठ अधिकारियों के दलों की टिप्पणियों पर संतोषजनक कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत न करने के कारण अंतिम रूप से तैयार किए गए आवास+ 2018 सर्वेक्षण सूचियों से वित्त वर्ष 2022-23 के लक्ष्यों के लिए वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (आज की तिथि अनुसार) के दौरान मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पीएमएवाई-जी के तहत पश्चिम बंगाल राज्य को निधियों का कोई केंद्रीय अंश जारी नहीं किया गया है। राज्य से एटीआर प्राप्त हो गई हैं और उनकी जांच की जा रही है।

पीएमएवाई-जी के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य के लिए 31.03.2024 तक जारी की जाने वाली केंद्रीय अंश की शेष देयता राशि 7,888.67 करोड़ रुपये है।

*****